पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 52/2019

अनवान :

1. मुकुल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासी भोजासर हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
2. कोमल पुत्री जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासी भोजासर हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
3. हीना पुत्री जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासी भोजासर हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

– वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र चानणमल जाति कुम्हार निवासी भोजासर हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री लीलाधर अग्रवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 6 बारानी के खाता सं0 47/38 के मु0नं0 68 के किला नं0 5, 6 की 0.506 है0 व इसी चक के खाता सं0 48/66 के मु0नं0 52 के किला नं0 1, 2, 9 ता 11 मु0नं0 68 का किला नं0 15, 16, 25 मु0नं0 69 का किला नं0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल क्षेत्रफल 5.819 है0 बारानी कृषि भूमि व चक 1 बीएचडी के खाता सं0 26/145 के मु0नं0 10 के किला नं0 1 ता 13 व 18 कुल खसरा 14 कुल क्षेत्रफल 3.099 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी जगदीश के नाम 5/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी जगदीश के बजाय वादीगण व प्रतिवादी जगदीश चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी जगदीश चारों के नाम वाद कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.))

07.6.19

(सुखाराम पिण्डेल)
R.A.S.
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 52/2019

अनवान :

1. मुकुल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासी भोजासर हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
2. कोमल पुत्री जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासी भोजासर हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)
3. हीना पुत्री जगदीश प्रसाद जाति कुम्हार निवासी भोजासर हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

– वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र चानणमल जाति कुम्हार निवासी भोजासर हाल निवास हिसार तहसील व जिला हिसार (हरियाणा)

– प्रतिवादी

दावा बाबत : इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री लिलाधर अग्रवाल : **वादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 07.06.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 6 बारानी के खाता सं0 47/38 के मु0नं0 68 के किला नं0 5, 6 की 0.506 है0 व इसी चक के खाता सं0 48/66 के मु0नं0 52 के किला नं0 1, 2, 9 ता 11 मु0नं0 68 का किला नं0 15, 16, 25 मु0नं0 69 का किला नं0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल क्षेत्रफल 5,819 है0 बारानी कृषि भूमि व चक 1 बीएचडी के खाता सं0 26/145 के मु0नं0 10 का किला नं0 ता 3 व 18 कुल खसरा 14 कुल क्षेत्रफल 3.099 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी जगदीश के नाम 5/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त कृषि भूमि प्रतिवादी जगदीश को अपने पिता चानणमल से विरासतन प्राप्त भूमि है। उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। चानणमल की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी कर्ता खानदान होने के कारण विरासतन अकेले के नाम भूमि दर्ज हो गई जबकि वादीगण व प्रतिवादी का उक्त भूमि में बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी जगदीश उक्त भूमि को बेचान करना चाहता है जब वादीगण ने कहा कि आप अपने विरासतन हिस्सा से अधिक भूमि को बेचान नहीं कर सकते, तब प्रतिवादी ने उक्त भूमि के बेचान करने के लिए ग्राहक तलाशने शुरू कर दिये, इसलिए वादीगण खिलाफ प्रतिवादी इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के कानूनी अधिकारी है कि जब तक दावा का निपटारा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादी वाद भूमि के किसी भी हिस्से को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं करें व कब्जा किसी अन्य को नहीं सम्भलावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के प्रतिवादी जगदीश ने इकबालदावा पेश किया।

7.6.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

साक्ष्य वादीगण में वादी मुकुल पुत्र जगदीश के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 बारानी खाता सं0 47/38 व 48/66 सम्वत् 2073 से 76 प्रदर्श 1 व 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 बीएचडी खाता सं0 26/145 सम्वत् 2071 से 74 प्रदर्श 3, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4, सत्यफोटो प्रति जमाबन्दी चक 1 बीएचडी खाता स0 107/97 सम्वत् 2063 से 66 प्रदर्श 5, सत्यफोटो प्रति चक 6 बारानी सम्वत् 2065 से 68 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि सनद प्रदर्श 7ए, 8ए, 9ए, 10ए, 11ए प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि दादालाई पुस्तैनी कृषि भूमि है, जगदीश की पुत्रियां भी वाद भूमि में अपना हिस्सा चाहती है। ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र/कुर्सीनामा संलग्न पत्रावली है।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण अपने वाद में वाद कृषि भूमि प्रतिवादी जगदीश को अपने पिता चानणमल से विरासतन प्राप्त होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने सत्यफोटो प्रति जमाबन्दी चक 1 बीएचडी खाता स0 107/97 सम्वत् 2063 से 66 प्रदर्श 5, सत्यफोटो प्रति चक 6 बारानी सम्वत् 2065 से 68 प्रदर्श 6, प्रमाणित प्रतिलिपि सनद प्रदर्श 7ए, 8ए, 9ए, 10ए, 11ए प्रदर्शित करवाऐ जिसमें वाद कृषि भूमि वादीगण के दादा चानण पुत्र आदराम के नाम दर्ज होना अंकित है जिससे वाद भूमि प्रतिवादी जगदीश को विरासतन प्राप्त होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 में जगदीश के वारिसान में पत्नि सुनिता, दो पुत्रियां कोमल व हिना व एक पुत्र मुकुल होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 6 बारानी के खाता सं0 47/38 के मु0नं0 68 के किला नं0 5, 6 की 0.506 है0 व इसी चक के खाता सं0 48/66 के मु0नं0 52 के किला नं0 1, 2, 9 ता 11 मु0नं0 68 का किला नं0 15, 16, 25 मु0नं0 69 का किला नं0 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 कुल क्षेत्रफल 5.819 है0 बारानी कृषि भूमि व चक 1 बीएचडी के खाता सं0 26/145 के मु0नं0 10 के किला नं0 1 ता 13 व 18 कुल खसरा 14 कुल क्षेत्रफल 3.099 है0 नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रतिवादी जगदीश के नाम 5/7 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अकेले प्रतिवादी जगदीश के बजाय वादीगण व प्रतिवादी जगदीश चारों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी जगदीश चारों के नाम वाद कृषि भूमि बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.15 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल) 07.06.17

R.A.S.

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)

उपखण्ड अधिकारी

भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

भादरा, जिला हनुमानगढ़